



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06122022-240845
CG-DL-E-06122022-240845

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 772]
No. 772]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 6, 2022/अग्रहायण 15, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 6, 2022/AGRAHAYANA 15, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 865(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, हिन्दी अनुवादक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, हिन्दी अनुवादक, समूह 'ख' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में, हिन्दी अनुवादक, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2018 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 9 में,-
(क) “उप-निरीक्षक (हिन्दी अनुवादक), निरीक्षक (हिन्दी अनुवादक) और सूबेदार मेजर (हिन्दी अनुवादक)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर “उप-निरीक्षक (हिन्दी अनुवादक) और निरीक्षक (हिन्दी अनुवादक)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;
(ख) “सत्तावन” शब्द के स्थान पर “साठ” शब्द रखा जाएगा।

3. उक्त नियम में, अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्,-

“अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	पद का वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है अथवा अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. निरीक्षक (हिन्दी अनुवादक)	15*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ‘ख’, अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900- 142400/- रू.)	चयन।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएँ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेलेन द्वारा / तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलेन द्वारा भर्ती की दशा में वेतन मैट्रिक्स में स्तर जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति /आमेलेन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति द्वारा:

वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400/-रू) में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे उप-निरीक्षक (हिन्दी अनुवादक) में से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और विहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. उप-महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य; 3. . कमांडेंट, भारत -तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्. कमांडेंट ।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. उप-निरीक्षक (हिन्दी अनुवादक)	55*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6- (35400-112400-/- रु.)	चयन ।

(6)	(7)
तीस वर्ष। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री जिसमें अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी माध्यम रहा हो और अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी और अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी माध्यम रहा हो और हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम रहा हो;

<p>अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>	<p>या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय जिसके अन्तर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं में हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद में और विपर्येण में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद कार्य और विपर्येण में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>2. शारीरिक मानदंड:-</p> <table data-bbox="592 689 1023 768"> <tr> <td>पुरुष</td><td>महिला</td></tr> <tr> <td>ऊँचाई 170 सें.मी.</td><td>157 सें.मी.</td></tr> </table> <p>टिप्पण 1: न्यूनतम मानदंड जहां तक इसका संबंध ऊँचाई से है, गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमी, लेह और लद्दाख, कश्मीर घाटी, पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों के पुरुषों के लिए 165 से0मी0 तथा महिलाओं के लिए 155 से0मी0 तक शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: न्यूनतम मानदंड, जहां तक इसका संबंध ऊँचाई से है, अनुसूचित जनजातियों, जिसके अन्तर्गत मिजो और नागा भी हैं, पुरुषों के लिए 162.5 से0मी0 तथा महिलाओं के लिए 154 से0मी0 तक शिथिल की जा सकती है।</p> <p>साधारण जनजातियों/आदिवासियों</p> <table data-bbox="592 1261 1086 1417"> <tr> <td>सीना: 80 सें.मी.</td><td>77 सें.मी.</td></tr> <tr> <td>(बिना फुलाए)</td><td></td></tr> <tr> <td>85 सें.मी.</td><td>82 सें.मी.</td></tr> <tr> <td>(फुलाकर)</td><td></td></tr> </table> <p>भार : ऊँचाई के तत्समान</p> <p>3. चिकित्सा मानदंड:</p> <p>(क) दृष्टि:- सभी बाबत चिकित्सक दृष्टता योग्य (बिना सुधार किए हुए अर्थात् बिना चश्मा पहने दोनों आंख की दृष्टि 6/6 और 6/9 हो) होना चाहिए।</p> <p>(ख) अभ्यर्थियों को अंतर्वक्र जानु, सपाट पाँव, स्फीत शिरा या वक्र दृष्टि का नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए जिनसे उनके कर्तव्यों के दक्ष निष्पादन में व्यवधान की संभावना हो।</p>	पुरुष	महिला	ऊँचाई 170 सें.मी.	157 सें.मी.	सीना: 80 सें.मी.	77 सें.मी.	(बिना फुलाए)		85 सें.मी.	82 सें.मी.	(फुलाकर)	
पुरुष	महिला												
ऊँचाई 170 सें.मी.	157 सें.मी.												
सीना: 80 सें.मी.	77 सें.मी.												
(बिना फुलाए)													
85 सें.मी.	82 सें.मी.												
(फुलाकर)													

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. उप-महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य; 3. उप कमांडेंट/ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य।	लागू नहीं होता।”

[फा .सं. 1-12022/07/2021-संगठन]

पी.एस. डंगवाल उप-सचिव (पर्स-1)

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खंड 3, उपखंड (i)में सा.का.नि. 1014 (अ),तारीख 10.10.2018 में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2022

G.S.R. 865(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Hindi Translator, Group 'B' Posts, Recruitment Rules, 2018, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Hindi Translator, Group 'B' Posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indo-Tibetan Border Police Force, Hindi Translator, Group 'B' posts, Recruitment Rules, 2018 (herein referred to as the said rules), in rule 9, -

(a) for the words and brackets “Sub-Inspector (Hindi Translator), Inspector (Hindi Translator) and Subedar Major (Hindi Translator)”, the words and brackets “Sub-Inspector (Hindi Translator) and Inspector (Hindi Translator)” shall be substituted;

(b) for the word “fifty-seven”, the word “sixty” shall be substituted.

3. In the said rules, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely,-

“ SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification of the post	Level in the pay matrix	Selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Inspector (Hindi Translator).	15* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Pay level 7 (Rs.44900 - 142400) of the pay matrix.	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	
(7)	(8)	(9)	(10)	
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion.	
In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, level in the pay matrix from which promotion or deputation or absorption is to be made				
(11)				
By promotion: From amongst Sub-Inspector (Hindi Translator) of Indo-Tibetan Border Police Force in pay level 6 (Rs.35,400 -112400) in the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed the prescribed pre-promotional course. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.				
If a departmental Promotion Committee exists what is its composition			Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	
(12)			(13)	
Group ‘B’ Departmental Promotion Committee (for promotion) consists of:- 1. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force : Chairman; 2. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force: Member; 3. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force : Member.			Not applicable	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Sub-Inspector (Hindi Translator).	55* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group ‘B’ Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Pay level 6 (Rs. 35400 - 112400) of the pay matrix.	Selection.

(6)	(7)
<p>Thirty years.</p> <p>1. Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions/ orders issued by the Government of India.</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands</p>	<p>Master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p>OR</p> <p>Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p>OR</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of an examination at the degree level;</p>

<p>or the Union territory of Lakshadweep).</p>	<p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of an examination at the degree level;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; AND</p> <p>Recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government office, including Government of India Undertaking.</p> <p>Physical Standards:-</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Men</td><td style="text-align: center;">Women</td></tr> <tr> <td>Height 170 centimeters</td><td>157 centimeters</td></tr> </table> <p>Note 1.— The minimum standard so far as it relates to height may be relaxed to 165 centimetres for males and 155 centimeters for females belonging to the hill areas of Garhwal, Kumaon, Himachal Pradesh, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies, Leh and Ladakh, Kashmir Valley, North Eastern states.</p> <p>Note 2.—The minimum standard so far as it relates to height may be relaxed to 162.5 centimeters for males and 154 centimeters for females in respect of Scheduled Tribes including Mizos and Nagas.</p> <p>Chest:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">General</td><td style="text-align: center;">Tribals/Adivasis</td></tr> <tr> <td>80 centimeters (Unexpanded)</td><td>77 centimeters</td></tr> <tr> <td>85 centimeters (Expanded)</td><td>82 centimeters</td></tr> </table> <p>Weight: Corresponding to height.</p> <p>Medical Standards:</p> <p>(a) Eye sight: Should be medically fit in all respects (Eye sight 6/6 and 6/9 of two eyes without correction i.e. without wearing glasses).</p> <p>(b) Candidates must not suffer from knock-knees, flat foot, varicose veins or squint in the eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.</p>	Men	Women	Height 170 centimeters	157 centimeters	General	Tribals/Adivasis	80 centimeters (Unexpanded)	77 centimeters	85 centimeters (Expanded)	82 centimeters
Men	Women										
Height 170 centimeters	157 centimeters										
General	Tribals/Adivasis										
80 centimeters (Unexpanded)	77 centimeters										
85 centimeters (Expanded)	82 centimeters										

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.

(11)
Not applicable

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of:- 1. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force : Chairman; 2. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force : Member; 3. Deputy Commandant/Senior Administrative Officer Indo-Tibetan Border Police Force : Member.	Not applicable".

[F. No. I. 12022/07/2021-Org.]

P.S. DANGWAL, Dy. Secy. (Pers-I)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part II Section 3 Sub-section (i), *vide* G.S.R. No. 1014(E), dated 10-10-2018.